अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/302 श्री ... श्री ...	

श्रीमती पारसी बनाम कालू वगैरह (2023/302)

19/12/24 प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते सुनवाई पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 24 व अप्रार्थी संख्या 24 उपस्थित नहीं हुए, उनको कई बार रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 02, 05 के अभिभाषक को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए हुए, 30 दिवस से अधिक हो चुके है। जाप्ता दीवानी के प्रावधान अनुसार उनकी तामील मानी जाती है। अप्रार्थी संख्या 2, 05 के अभिभाषक उपस्थित नहीं। प्रार्थना–पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 12.09.2023 नियत थी। अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 12, 16, 19, 20 व 21 की तामील लम्बे समय से नही हो रही थी। अपीलांट के वकील द्वारा कई बार उनके नोटिस प्रस्तुत कर दिये थे, पत्रावली पेशी दिनांक 12.09.2023 इन्तजार नोटिस में रखी गयी थी। चूंकि प्रार्थीगण के वकील अन्य न्यायालय में बहस कर रहे थे इसलिए प्रार्थीगण के वकील ने अपने साथी अधिवक्ता को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा परन्तु साथी अधिवक्ता की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थीगण की न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होने के कारण उनको उपस्थित होने हेतु नहीं कहा गया था इसलिए प्रार्थीगण भी उपस्थित नहीं हो सकें। इस प्रकार अपीलांटस व उनके वकील की अनुपस्थिति जानबूझ कर नहीं होकर परिस्थितिवश अर्थात सद्भाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी नम्बर 750/2020 प्रवीण बनाम हरियाणा राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की लार्जर बैंच ने निर्णय पारित किया है कि बार–बार वकील के अनुपस्थित रहने के आधार पर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टात के आधार पर प्रकरणको पुनःनम्बर पर लिये जाकर उसका निर्णय गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सख्या 16 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालंय के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 12.09.2023 को अपीलांटस एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को विधि सम्मत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना–पत्र को यदि स्वीकार किया जाता है तो भारी कोस्ट पर स्वीकार करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्राथीगण व अप्रार्थी संख्या 16 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner